कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / बी / उत्तर मैट्रिक / 2018–19 / दिनांक : 03.06.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)

विषय :– उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों के वेरिफिकेशन / फॉरवर्ड करने के संबंध में।

अनुसूचित जाति / अनु.जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग(MBC) / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग / विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में छात्र–छात्राओं द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्रों को संस्था स्तर से भलीभांति जांच उपरान्त प्रमाणित कर फॉरवर्ड किया जाना होता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने निर्देशित किया है कि फॉरवर्ड नही किये जाने की स्थिति में लम्बित आवेदन पत्रो की संख्या बढ़ जाने के कारण आवेदन पत्र फॉरवर्ड करने की तिथि से 21 दिन पश्चात् आवेदन पत्र संस्था स्तर से स्वतः फॉरवर्ड हो जायेगे। इस प्रकार के स्वतः फॉरवर्ड आवेदन पत्रों की जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय द्वारा भलीभांति जांच करने के पश्चात् ही फॉरवर्ड करे। अगर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय द्वारा 21 दिन तक जांच व फॉरवर्ड नही करने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः फॉरवर्ड होकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की आई डी पर प्रेषित हो जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्राप्त आवेदन पत्रों की भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। भुगतान हेतु प्राप्त ऐसे आवेदन पत्र जिन्हे आप द्वारा जांच उपरान्त फॉरवर्ड नही किया गया है उन आवेदन पत्रो पर **Auto Forword** अंकित होगा। अतः इस प्रकार के आवेदन पत्रों को भलीभांति जांच कर ही भुगतान संबंधित कार्यवाही करें।

(संजय सैंगर)
प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करे।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

ZONE SAMACHAR NEWS GROUP